कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त चाकसू जयपुर दक्षिण

क्रमांक ईमेल **दिनांक** 24-4-19

श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय
जयपुर दक्षिण

विषयः— **सी एम हैल्प परिवाद द्वारा ज्ञानेश मे** तथ्यात्मक रिपोर्ट अभियोग संख्या 136/2019 धारा 147, 323,354,452,427,379 आईपीसी थाना सांगानेर सदर जयपुर दक्षिण मे दिनॉक 18.02.2019 को राजस्थान पत्रिका मे छपी खबर के क्रम मे ।

महोदय

उपरोक्त विषय एवमं प्रसंग के सन्दर्भ मे निवेदन है कि **थानाधिकारी थाना सांगानेर सदर ने परिवाद के संबंध मे इ आशय की रिपोर्ट पेश की कि** दिनॉक 18.02.2019 को राजस्थान पत्रिका मे छपी खबर के सम्बधं में दिनॉक 17.02.2018 को परिवादी श्री सुनीत स्वामी पुत्र श्री रामधन स्वामी जाति स्वामी निवासी ग्राम जोतडावाला बाबाजी की ढाणी सांगानेर जयपुर का एक परिवाद वास्ते जांच इस आशय का प्राप्त हुआ कि आज दिनॉक 17.02.2019 समय 3.00 बजे मेरे निवास ग्राम जोतडावाला बाबाजी की ढाणी सांगानेर पर प्रभुनारायण चौधरी, रामजी लाल जाट, प्रधान जाट, विनोद चौधरी व कालु सैनी व अन्य 15–20 लोगो को साथ लेकर प्रभुनारायण चौधरी मेरे घर पर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगाा जो भी मिले उसको खत्म कर दो किसी को जिन्दा मत छोडना और जे.सी.बी. लाकर मेरे घर का मैन गेट तोड दिया बाकी लोग गेट तोडते ही अन्दर धुस कर तोड फोड व हमला कर दिया उस समय मेरी पत्नी अकेली थी वो इतनी भीड को देख कर घबरा गई व उनके हमले को देखकर वह हाथ जोड कर विनती करने लग गई । फिर प्रभुनारायण मेरी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा और गन्दा काम करने की नियत से उसके कपडे फाड दिये और उसकी छाती पर जोर से दबाने लगे । फिर पीछे से अशोक शर्मा ने बाथ भर ली और कहने लगाा इसको गाडी मे डालो ओर कहने लगा आज इसको कही का नही छोडेगे। मेरी पत्नी अपने बचाव मे चिल्लाने लगी व बचाव करने लगी तो आस पास क लोगो के इसकी आवाज सनुकर आये तो लोगो को देखकर मेरी पत्नी के गले मे चैन थी जो तोडकर ले गये और घर के गेट तोड कर अन्दर रखे 20,000/रूप्ये भी अपने साथ ले गये और जाते जाते धमकी दे गई की हम वापस आऐगे और कहने लगे कि इस जमीन को छोडकर यहा से भग जाओ नही तो तुम्हारे पति को जिन्दा नही छोडगे और प्रभु गाली देकर कह रहा था कि इसको मै आज कही का नही छोडुगां । इसको गाडी मे डाल लो । मेरी पत्नी ने मुश्किल से अपनी जान बचाई । आदि पर परिवाद पार्ट तृतीय क्रमाक 134 दिनॉक 17.02.2019 को दर्ज कर जॉच श्रीमति पुष्पा एस आई द्वारा की गई । जिन्होने दौराने जॉच परिवादी व अन्य गवाह श्रीमति सुमन व श्री सोहन दास के बयान लिये गये। आस पडौसियान से मौखिक पुछताछ गई। बाद जांच श्रीमती पुष्पा एसआई ने जाचॅ से धारा 147, 323, 354, 452, 427, 379 आईपीसी का अपराध पृथम दृष्टया पाया जाने पर जॉच रिपोर्ट पेश की आदि जॉच रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 136/2019 धारा 147, 323, 354, 452, 427, 379 आईपीसी दिनांक 18-02-2019 को पुलिस थाना सांगानेर सदर जयपुर पर दर्ज कर अनुसधान एस आई कृष्ण कुमार आईसी थाना मशरूफ तफतीश हुआ। प्रकरण का गहनता से अनुंसधान जारी है।

दौराने अनुसंधान परिवादी श्री सुनित स्वामी एंव गवाह श्रीमती सुमन स्वामी से दरियाफत कर बयान 161 सीआरपीसी लेखबद्व किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका कसीद किया गया। परिवादी द्वारा पेश परिवाद शामिल पत्रावली किये गये। परिवादी को मेडिकल मुआयाना चोट करवाये जाने बाबत नोटिस दिया गया तो नोटिस की प्रति पर परिवादी स्वंय ने लिखित में दिया कि झगडे में मेरे व मेरे परिवारजन के किसी प्रकार की कोई चोट नही लगी इसलिए में कोई मेडिकल नही करवाना चाहता। श्रीमती सुमन स्वामी के बयान 164 सीआरपीसी में सम्बंधित न्यायालय में करवाये जाकर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री सुनीत स्वामी को प्रकरण हाजा की घटना से सम्बन्धित गवाह गोरख, बसंत, पप्पू स्वामी, सोना व किशनलाल को पेश करने बाबत् नोटिस दिया गया है, जो आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ व ना ही घटना स्थल पर जाने पर पेश किये व गवाह पप्पू व भोलु दास के नोटिस जारी किये गये है। परिवादी श्री सुनीत स्वामी को दिनांक 19.02.2019, 25.02.2019 व 27.02.2019 व 18.03.2019 को नोटिस जारी किये गये है। परिवादी द्वारा घटना से सम्बन्धित कोई फोटो, वीडियो व सीडी आदि पेश नहीं की है। शीघ्र गवाहों से अनुसंधान कर अग्रिम कार्यवाही कर अनुसंधान पूर्ण किया जावेगा। अनुसंधान जारी है।

अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट सादर प्रेषित है ।

सहायक पुलिस आयुक्त
चाकसू जयपुर दक्षिण